



राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफ.16/व्य. एवं प./पी.एफ./2021/409-447

दिनांक:- 26.07.2021

सहायक/उप/संयुक्त निदेशक  
राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग,  
जिला कार्यालय समस्त।

विषय:- एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ ऑलड लेजर्स के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रावधायी निधि अंशदाताओं की प्रथम नियुक्ति तिथि से दिनांक 31.03.2012 तक की जीपीएफ ऑलड लेजर की कटौतियां जिला कार्यालयों द्वारा अपलोड की जा रही हैं।

यदि अंशदाता एसआईपीएफ पोर्टल में जीपीएफ ऑलड लेजर्स की एन्ट्री से संतुष्ट नहीं है तो अंशदाता को एसआईपीएफ पोर्टल में GPF > Transaction > GPF-Old Ledger स्क्रीन ऑलड लेजर्स की एन्ट्री करने की सुविधा दी गई है।

एसआईपीएफ पोर्टल में GPF > Transaction > GPF-Old Ledger स्क्रीन पर For SIPF के कॉलम में बीमा विभाग द्वारा की गई एन्ट्री दिखाई देगी For Employee के कॉलम में अंशदाता स्वयं एन्ट्री कर सकता है एवं साक्ष्य में दस्तावेज अपलोड भी कर सकता है।

सभी जिला कार्यालय एसआईपीएफ पोर्टल पर अंशदाताओं को प्रदान की गई इस सुविधा का अधिक-2 से अधिक प्रचार करावें जिससे अधिक से अधिक अंशदाता इस सुविधा का उपयोग कर सकें।

बीमा सहायक ऑलड लेजर तैयार करने से पूर्व अंशदाता के द्वारा की गई एन्ट्री को भी आवश्यक-कम से जाँच करते हुए ऑलड लेजर्स संशोधित करने का कार्य करें।

भवदीय

20

(रामपाल परसोया)

अतिरिक्त निदेशक (पीएफ)